



# दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 23/02/2018 की कार्यवृत्त

उपरिस्थिति:

1	प्रो० विजय कृष्ण सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो० एस०के० दीक्षित	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
3	प्रो० जितेन्द्र मिश्र	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
4	प्रो० गोपी नाथ	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
5	प्रो० राजेन्द्र सिंह	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
6	डॉ० अवधेश सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
7	डॉ० श्रीमती छायाशानी	उपाचार्य, संस्कृत विभाग	सदस्य
8	डॉ० अनुराग द्विवेदी	प्रवक्ता, समाज शास्त्र विभाग	सदस्य
9	डॉ० ओंकार नाथ मिश्र	प्राचार्य, श्री भगवान महावीर पी०जी० कालेज, पावानगर, फाजिलनगर, कुशीनगर	सदस्य
10	प्रो० विनोद कुमार सिंह	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	सदस्य
11	डॉ० एस०एन० शर्मा	अध्यक्ष, गुआवटा	सदस्य
12	डॉ० अमरेंद्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव
13	प्रो० रविशंकर सिंह	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	विशेष आमन्त्रित

कार्यसूची- 1. परीक्षा केन्द्र निर्धारण के सम्बन्ध में आपत्तियों आदि पर विचार-

- (क) महाविद्यालयों में नकल न हो इस क्रम में अधिक छात्र संख्या वाले अनुदानित महाविद्यालयों को अन्य महाविद्यालय में परीक्षा केन्द्र बनाने में आ रही व्याहारिक समस्याएं, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों का विगत वर्षों में नकल आरोपित न रहने व शुचिता पूर्वक परीक्षा कराने, विश्वविद्यालय की परीक्षा कराने में सहयोग करने एवं उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय के अन्य विश्वविद्यालय यथा कानपुर विश्वविद्यालय, बरेली विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, आदि विश्वविद्यालय अपने यहाँ राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों की परीक्षा अपने परीक्षा केन्द्र पर ही कराने का निर्णय लिया जा चुका है, के दृष्टिगत विश्वविद्यालय स्तर पर गठित केन्द्र निर्धारण समिति ने वर्ष-2018 की वार्षिक परीक्षा में राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों की परीक्षा अपने केन्द्र पर ही कराये जाने की संस्तुति की है जिस पर कुलपति स्तर से अनुमोदन प्राप्त है, पर परीक्षा समिति द्वारा विस्तृत चर्चा हुई। परीक्षा समिति ने केन्द्र निर्धारण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में कुलपति जी के निर्णय को परीक्षा के शुचिता के साथ-साथ व्याहारिक निर्णय मानते हुए सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

(ख) परीक्षा समिति ने किसी भी स्ववित्तपोषित महाविद्यालय को स्वकेन्द्र न बनाने का निर्णय लिया तथा सरस्वती देवी महाविद्यालय, खड्डा, कुशीनगर के प्रकरण में परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति को निर्देशित किया कि इस महाविद्यालय को भी यथा सम्भव जो भी करीबी महाविद्यालय हो उस परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा कराया जाय।

(ग) विश्वविद्यालय के तीन अनुदानित महाविद्यालय (1) सेण्ट एण्ड्रयूज, पी०जी० कालेज, गोरखपुर (2) वी०आर०डी०पी०जी० कालेज, देवरिया (3) वी०आर०डी० आश्रम बरहज महाविद्यालय, देवरिया एवं एक स्ववित्त पोषित महाविद्यालय (4) केवला सुन्दर महाविद्यालय, गोरखपुर के प्रबन्धन तंत्र में विवाद होने के बावजूद भी यहाँ प्रबन्ध तंत्र परीक्षा सुचारु रूप से कराते आ रहे हैं, पर ये समस्त बड़े महाविद्यालय हैं, अतः सुचारु रूप से परीक्षा के दृष्टिगत इन्हें भी परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।

(घ) केन्द्र निर्धारण के सम्बन्ध में भारतीय कृषक महाविद्यालय, पिपरसण्डी, गोरखपुर व राणा प्रताप महाविद्यालय के प्रत्यावेदन को परीक्षण कर निस्तारित करने हेतु परीक्षा समिति ने परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति को अधिकृत कर दिया।

(ङ) सकुशल परीक्षा हेतु केन्द्र निर्धारण/केन्द्र निरस्त करने या केन्द्राध्यक्ष बनाने के सम्बन्ध में किसी भी विशेष परिस्थिति में कोई भी निर्णय लेने के लिए समिति ने माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।

  
परीक्षा नियंत्रक

  
कुलपति